न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(12)

अपील(सू.का.अ)संख्या 13/2022 बउनवानी रणजीत परिडवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर निवासी–टाईप–II/18 के अणुकिरण कॉलोनी, रावतभाटा जिला चितोडगढ–323307

GCMS No-2022/13 **On line Appeal No-321827880404741**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.9.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

A. यह है कि ग्राम/पटवार हल्का कुश्तला ख0न0 1764 रकबा 0.04 है0 की सीमाज्ञान करने के लिए आवेदक संतोष पुत्री लडडू गोपाल के द्वारा जुलाई,2019 में आवेदन किया गया था जिसपर आज दिनांक तक विभाग द्वारा की गयी कार्यवाहीयों से जुडे समस्त दस्तावेजो की प्र.प्रति उपलब्ध करावे।

B. विभागीय नियमों के अनुसार कितने दिनों मे सीमाज्ञान किए जाने का प्रावधान है। सीमाज्ञान के लिए तय निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नही करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ की गयी कार्यवाहीयो से जुडे समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपिया उपलब्ध करावें

C. यह है कि पटवार हल्का कुश्तला ख0न0 1764 रकबा 0.04 है0 में मंदिर का निर्माण किया हुआ है या हुआ है तो कब हुआ, किस जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में निर्माण कार्य हुआ है। यदि मंदिर का निर्माण हुआ है तो मंदिर के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं इनके जुडे समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध करावे।

D. उक्त जमीन पर मंदिर निर्माण हेतु जिस विभाग या प्राधिकरण से स्वीकृति जी गयी उनमे जुडे समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ उपलब्ध करावे।

E. उक्त जमीन पर बन रहे मंदिर निर्माण हेतु कोई रोक लगायी गयी है तो उनमे जुडे समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपिया उपलब्ध करावे।

F. उक्त आराजी पर कब्जा हटाने हेतु कब कब,कितनी कितनी शिकायते प्राप्त हुई और उन शिकायतो पर विभाग द्वारा की गयी कार्यवाहीयों से जुडे समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार स0मा0 की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः रसद/664 दिनांक 7.2. 2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.9. 2021 के बिन्दु संख्या A की कुल 8 पृष्ठो की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक /भू.अ./ 2022/663 दिनांक 7.2.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा उक्त पत्र के माध्यम से ही बिन्दु संख्या B लगायत F की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.9.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या **A** की कुल 8 पृष्ठो की सूचना लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओं की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूॅ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना, अधिनियम की तय समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात उपलब्ध करवायी है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों में वांछित सूचनाऐं अधिनियम की तय समय सीमा मे उपलब्ध करवायी जाकर प्रार्थना पत्रों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:11:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर